सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/ATY-3642/MH/64/2026-RU-I

दिनांक: 18.05.2026

जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट,
जिला-मुंबई-उपनगर,
कलेक्टर कार्यालय, मुंबई उपनगरीय जिला,
प्रशासनिक भवन, 10वीं मंजिल, सरकारी कॉलोनी,
चेतना कॉलेज के सामने, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई-400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

विषय: मालाड (मुंबई) स्थित 7 एकड़ पैतृक आदिवासी भूमि (CTS No. 32 एवं 33) पर गैर-आदिवासी भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा, धोखाधड़ी एवं SC/ST अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में दिनांक 23.01.2026 को श्री मांगेश देवजी लसनपुरिया द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 20.04.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री मांगेश देवजी लसनपुरिया,
पता : मालाड (पूर्व), ए.ओ., मुंबई,
महाराष्ट्र – 400097,
मोबाइल नंबर : 7400215029

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-3642/MH/64/2026-RU-I

अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

मालाड (मुंबई) स्थित 7 एकड़ पैतृक आदिवासी भूमि (CTS No. 32 एवं 33) पर गैर-आदिवासी भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा, धोखाधड़ी एवं SC/ST अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में दिनांक 23.01.2026 को श्री मांगेश देवजी लसनपुरिया द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में दिनांक 20.04.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 20.04.2026

अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री मांगेश देवजी लसनपुरिया (धोडिया – अनुसूचित जनजाति) द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मालाड (पूर्व), मुंबई उपनगर स्थित उनकी लगभग 7 एकड़ पैतृक आदिवासी भूमि पर गैर-आदिवासी बिल्डर/भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित राजस्व अधिकारियों की कथित मिलीभगत से भूमि के अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टियाँ कर दी गईं तथा उक्त भूमि पर अवैध निर्माण कर उसे तृतीय पक्ष को विक्रय किया गया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार यह कृत्य महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 36/36A तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का गंभीर उल्लंघन है। साथ ही, भूमि पर दावा करने पर शिकायतकर्ता एवं उनके परिवार को धमकियाँ दिए जाने की भी बात कही गई है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 18.03.2026 को जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, मुंबई उपनगर को नोटिस जारी किया गया था। तथापि, आज दिनांक तक संबंधित प्राधिकरण से आयोग को कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण के संबंध में पूर्व में कोई भी सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी।

6. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.04.2026 को सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, जिला–मुंबई उपनगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई के प्रतिनिधि श्री प्रशांत ढगे, एसडीएम तथा याचिकाकर्ता उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान संबंधित प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण से संबंधित कोई भी अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और यह आश्वासन दिया गया है कि प्रकरण को जांच व अवलोकन के उपरांत शीघ्र ही लिखित प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

7. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. यह अनुशंसा की जाती है कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुंबई उपनगर द्वारा संबंधित भूमि (CTS नं. 32 एवं 33, मालाड (पूर्व)) से जुड़े समस्त राजस्व अभिलेखों, फेरफार (Mutation Entries), स्वामित्व दस्तावेजों एवं निर्माण अनुमतियों का विस्तृत परीक्षण किया जाए तथा उनकी सत्यता का डिजिटल अभिलेख/ई-पोर्टल के माध्यम से स्मार्ट वेरिफिकेशन (Smart Verification) कर क्रमवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाए।

2. यह अनुशंसा की जाती है कि प्रकरण की गंभीरता एवं तथ्यात्मक स्थिति के समुचित परीक्षण हेतु बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त तथा पुलिस आयुक्त, मालाड (पूर्व) क्षेत्र को विधिवत नोटिस जारी किया जाए, जिससे वे इस प्रकरण से संबंधित सभी पहलुओं की जांच कर 30 दिवस की निर्धारित समयावधि के भीतर विस्तृत एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

3. प्रकरण की वस्तुस्थिति के सत्यापन हेतु आयोग का एक जांच दल स्थल निरीक्षण करे तथा विस्तृत जांच प्रतिवेदन आयोग को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करे।

(अंतर सिंह आर्य)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीयअनुसूचितजनजातिआयोग

अनुसंधानएकक-I

****

फाइल. सं.: NCST/ATY-3642/MH/64/2026-RU-I

दिनांक: 20.04.2026

विषय: मालाड (मुंबई) स्थित 7 एकड़ पैतृकआदिवासी भूमि (CTS No. 32 एवं 33) परगैर-आदिवासी भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा, धोखाधड़ी एवं SC/ST अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में दिनांक 23.01.2026 को श्री मांगेश देवजी लसनपुरिया द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 20.04.2026 कोआयोजितसिटिंग/सुनवाईकीउपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाषनंबर	हस्ताक्षर
1.	श्रीअंतर सिंहआर्य	माननीयअध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठअन्वेषक		
5.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

जिलाकलेक्टरऔरमजिस्ट्रेट, जिला-मुंबई-उपनगर, मुंबई-400051, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाषनंबर	हस्ताक्षर
1.	प्रशांत ढगे	[illegible]	9158938710	[illegible]
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाषनंबर	हस्ताक्षर
1. मंगेश देवजी	लसनपुरिया			
2.				
3.				
4.				